न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2063 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 208/अपील/15-16.

खूबी पुत्र दर्गाप्रसाद
निवासी ग्राम गुढा
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र खेमसिंह
   निवासी गुढ़ा, ग्वालियर
2. रामवती पुत्री खेमसिंह
   पत्नी मानसिंह निवासी बंशीपुरा, मुरार
3. वदो उर्फ बादामी बाई पत्नी कमल
   पुत्री खेमसिंह फिलमिस्तान
   टॉकीज के पास, लश्कर, ग्वालियर
4. मीना पत्नी माखन सिंह
   पुत्री खेमसिंह
   बेला की बावड़ी, लश्कर, ग्वालियर
5. भागो बाई पत्नी अतर सिंह
   पुत्री खेमसिंह
   निवासी आंतरी, तहसील डबरा
6. लक्ष्मी नाबा. पुत्री खेमसिंह
   सर.मॉ धन्तोबाई
   निवासी नादरिया की माता, लश्कर, ग्वालियर

7. भगवान सिंह पुत्र सूखा
8. दिलीप
9. खेमा पुत्रगण दुर्गाप्रसाद
   निवासी गुढ़ा, तहसील व जिला ग्वालिय, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी एवं मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय, वृत्त गिरवाई, तहसील ग्वालियर के समक्ष आवेदिका रामप्यारी पत्नी दुर्गाप्रसाद के द्वारा संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम गुढा की भूमि सर्वे क्र. 741 मिन रकबा 2 विस्वा अभिलेख में उसके पति दुर्गा एवं चुन्नी के नाम पर समान भाग पर दर्ज है। दुर्गा की मृत्यु के बाद आवेदिका ही एकमात्र वारिस है। अभिलेख में सम्वत् 2031 में उक्त भूमि पर खसरा के खाना क्र. 12 में खेमसिंह का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अंकित किया गया है, जो निरस्त किया जाकर उसका नाम अंकित किया जावे। तहसीलदार द्वारा खसरा की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आवेदन दिनांक 10.11.2005 को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 65/05-06 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2006 को प्रकरण विधि अनुसार कार्यवाही एवं उभय पक्ष को सुनवाई के अवसर के साथ निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा पुन: कार्यवाही करते हुये दिनांक 22.06.2007 को धारा 115/116 का आवेदन प्रचलनशील नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा पुन: अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 47/07-08/अपील दर्ज कर दिनांक 27.08.2008 को तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06.04.2009 के द्वारा यथावत रखा गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्र.क्र. 421/पीबीआर/09 प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 24.09.2010 द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को उभय पक्ष की सुनवाई एवं विधिसम्मत निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस प्रत्यावर्तन आदेश के अनुक्रम में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-6-अ/06-07 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 के द्वारा आवेदिका का आवेदन स्वीकार किया जाकर अभिलेख में अधिकारिता रहित प्रविष्टि निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध खेमसिंह आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश वैधानिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं होने से दिनांक 29.11.2012 को निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.05.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक भगवान सिंह एवं उसके भाई खेमसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई अपील दिनांक 01.09.2011 को खेमसिंह की मृत्यु हो जाने एवं उसके उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उपश्रमित हो जा चुकी थी। ऐसी अपील में दिनांक 29.11.2012 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश शून्यवत था, जैसी कि माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत 2005(4) म.प्र. लॉ जनरल 1 में स्थापित विधि से स्पष्ट है। ऐसे शून्यवत आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर भूल की है।

(2) अपर आयुक्त ने अपने आदेश के पद-9 में खेमसिंह की मृत्यु होने एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील के उपश्रमित हो जाने के प्रश्न का निराकरण करने के लिए कारण दर्शाया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करते समय खेमसिंह जीवित

था, न्यायालय में प्रकरण के प्रचलन के दौरान पक्षकारों द्वारा यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट ही नहीं किया गया कि खेमसिंह की मृत्यु हो चुकी है। अपर आयुक्त ने उक्त कारण दर्शाने के पूर्व यह विचार नहीं किया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष खेमसिंह एवं उसके सगे भाई भगवानसिंह ने अपील प्रस्तुत की थी। अतः खेमसिंह की मृत्यु के बाद खेमसिंह के उत्तराधिकारियों एवं सगे भाई भगवान सिंह का यह उत्तरदायित्व था कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष खेमसिंह की मृत्यु होने का तथ्य न्यायालय की जानकारी में लाते हुए उचित आवेदन प्रस्तुत करते। अतः अपर आयुक्त द्वारा दर्शाया गया उक्त कारण विधि एवं प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।

(3) अपर आयुक्त ने जिस तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क्रेताओं के स्वत्व को विधिसम्मत माना है, वह विक्रय दुर्गा प्रसाद द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था। विक्रय पत्र में विक्रेता के रूप में लखनलाल पुत्र बालमुकुन्द का नाम वर्णित है एवं दुर्गा प्रसाद तथा रामश्री को सहमतिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र अभिलिखित भूमि स्वामी के स्थान पर किसी तृतीय पक्ष द्वारा स्वयं को विक्रेता बताते हुए निष्पादित किया गया था। अपर आयुक्त ने विक्रय पत्र को देखे बिना एवं उसके विक्रेता एवं सहमतिकर्ता के संबंध में कोई टिप्पणी किये बिना विक्रय पत्र को वैध मानने में गंभीर भूल की है।

(4) जब दुर्गा प्रसाद द्वारा कोई विक्रय पत्र विक्रेता के रूप में निष्पादित नहीं किया गया तब ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर दुर्गा प्रसाद के स्थान पर अन्य किसी का नामांतरण स्वत्व पर आधारित नहीं था एवं ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर दिया गया नामांतरण आदेश भी अवैध होने से यह माना जायेगा कि उसके आधार पर की गई प्रविष्टि अवैध एवं मनमानी है, जिसे सुधारने के लिए दिया गया आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य था, तहसील न्यायालय ने मूल आवेदन को स्वीकार करने के लिए जो कारण अपने आदेश में दिये थे, वे तत्समय उपलब्ध अभिलेख पर आधारित थे। इस कारण तहसील का आदेश निरस्त किये जाने योग्य नहीं था।

(5) राजस्व न्यायालय को नामांतरण करने के पूर्व प्रथम दृष्टया यह देखना आवश्यक है कि उनके समक्ष जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा जा रहा है, क्या वह विक्रय पत्र स्वत्व के अंतरण की प्रथम दृष्टया पुष्टि करता है। अपर आयुक्त ने ऐसे प्रश्न के निराकरण

का विचाराधिकार राजस्व न्यायालय को न होने का जो कारण अपने आदेश में दिया है, वह न तो विधिसम्मत है और न ही न्यायोचित है।

(6) तथाकथित विक्रय पत्र के सहमतिकर्ता दुर्गाप्रसाद शासकीय सेवा में थे एवं हस्ताक्षर करते थे, जबकि विक्रय पत्र में उनके अंगूठे का चिन्ह दर्शित है मात्र यह तथ्य पर्याप्त है कि उक्त विक्रय पत्र एक फर्जी विक्रय पत्र है।

(7) जब दुर्गा प्रसाद द्वारा कोई विक्रय पत्र निष्पादित ही नहीं किया गया था, तब दुर्गा प्रसाद द्वारा उसे चुनौती देने का कोई कारण उपस्थित नहीं होता है। अवैध प्रविष्टि होना जानकारी में आने पर दुर्गाप्रसाद की पत्नी/आवेदक की मां ने तहसील न्यायालय के समक्ष अवैध प्रविष्टि सुधारने के लिए जो आवेदन दिया था वह आवेदन विधि के प्रावधानों के अनुरूप था एवं तथ्यों तथा खसरा प्रविष्टि को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य था। तहसीलदार के ऐसे आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने भूल की है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख सम्वत् 2031 में प्रश्नाधीन भूमि पर खसरा के खाना क्र. 12 में खेमसिंह का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अंकित किया गया है, जिसे निरस्त कर आवेदिका का नाम अंकित करने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसील न्यायालय ने निरस्त कर त्रुटि की है। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर